



Neutral Citation Number- 2026:AHC:34603-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2236/2026

विनोद सिंह यादव

....याचिकाकर्ता/याचिककर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिककर्तागण के अधिवक्ता : कमलेश कुमार निषाद, राम अवध मौर्य

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि प्रस्तुत मामले में, जाँच पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, किंतु उनका कहना है कि वे इस रिट याचिका पर ज़ोर नहीं देना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं, साथ ही उन्हें यह स्वतंत्रता दी जाए कि वे उचित चरण पर उचित मंच के समक्ष जा सकें।
4. दिए गए बयान को देखते हुए, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

17 फरवरी, 2026

नादिम

(माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता) (माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”